संख्या-20/2017/आर-402/26-3-2017-14(रिट)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 7 मार्च 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-6366/2014 पुष्पेन्द्र चन्द्र पाण्डेय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-01.09.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-396/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-18.05.2016, पत्रांक-4181/स.क./शिक्षा-अ, दिनांक-18.11.2016 तथा पत्रांक-5308/स.क./शिक्षा-अ/16-17 दिनांक-10.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-01.09.2015 के अनुपालन में याची सामान्य वर्ग छात्रों की वर्ष 2013-14 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-18.96/-लाख (रूपया अट्ठारह लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि याची छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि के अन्तर Difference amount का विवरण/प्राप्ति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-01.09.2015 के अनुपालन में याची छात्र-छात्रों का प्रत्यावेदन निदेशालय स्तर से स्वमुखरित आदेश से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-20/2017/आर-402(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in